मेमी टीप यूओ. क्रमांक डब्ल्यू-02/_____दिनांक २०/03/2020 विषय:-कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय बावत्।

विषयान्तर्गत म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक 38/जीएडी/2020 दिनांक 19 मार्च 2020 द्वारा जारी निर्देशों अनुसार कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आल्टरनेट दिवस में उपस्थिति रहेंगे शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी मुख्यालय में रहकर अपने निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं सम्पर्क के समस्त माध्यमों पर सम्पर्क किये जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेंगे।

इस सम्बंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की व्यवस्था करते समय प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे कर्मचारी टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के संवाद के लिए कार्यालय समय में उपस्थित रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तात्कालिता की स्थिति में बुलाया जा सके।

यह व्यवस्था दिनांक 31.3.2020 तक लागू रहेगी, इसके पश्चात तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर शासन आदेश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

> (विकास अवस्थी) प्रशासकीय अधिकारी

प्रति,

- 1. समस्त प्रकोष्ट / शाखा प्रभारी वाल्मी भोपाल।
- 2. निज सहायक, संचालक कक्ष वाल्मी भोपाल।
- 3. गार्ड नस्ती / वेबसाईट समिति, वाल्मी भोपाल।